रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1269] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 23, 2006/कार्तिक 1, 1928
No. 1269] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 23, 2006/KARTIKA 1, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1808(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 515.00 कि.मी: से 592.00 कि.मी. (बेलगाम-महाराष्ट्र सीमा सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रबन्धक (तकनीकी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्लॉट संख्या 498, सेक्टर-3, शक्ति मार्ग, शिवबासव नगर, बेलगाम-590010, कर्नाटक को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 515.00 कि.मी. से 592.00 कि.मी. तक (बेलगाम-महाराष्ट्र सीमा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	बेलगाम	चिकोदी	कोगनौली	652	सिंचित	सिंचित	2425
				665	सिंचित	सिंचित	419

[फा. सं. भाराराप्रा/13011/37-IV/2002-पीआई].

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2006

S.O. 1808(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 4, on the stretch of land from km 515.00 to km 592.00 (Belgaum-Maharasthra Border Section) in District Belgaum in the State of Karnataka, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under Sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Manager (Technical), National Highways Authority of India, Plot No. 498, Sector-3, Shakthi Marg, Shivabasav Nagar, Balgaum-590 010, Karnataka, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under Sub-section (2) of Section 3C of the said Act, shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 515.00 to km 592.00 (Belgaum-Maharasthra Border Section) of the National Highway No. 4 in the State of Karnataka

Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey Number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Belgaum	Chikodi	Koganoli	652 665	Irrigated Irrigated	Irrigated Irrigated	2425 419

[F. No. NHAI/13011/37-IV/2002-PI]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.